NSDL
Technology, Trust & Reach

The Financial Kaleidoscope
Defining the different shapes of investment

मई 2020

दूरदर्शी निवेशक बनें

संपादक की ओर से

प्रिय पाठकों,

पिछले कुछ महीनों में हमारी जीवनशैली के सभी पहलुओं में कई बदलाव आये हैं। परिवार और दोस्तों से मिले बिना संपर्क में रहने से लेकर घर से काम करने तक, इन परिवर्तनों ने हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार को जबरदस्त रूप से प्रभावित किया है। हालांकि इन परिवर्तनों को हमें मजबूरी में अपनाना पड़ा है, इन नई आदतों और प्रथाओं के लाभ को देखते हुए, हम इन्हें भविष्य में भी जारी रख सकते हैं।

हमारे जीवन की तरह, व्यापार में भी काफी बदलाव देखे गए है। लगभग सभी संगठनों और व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव घर से काम करने का तरीका है। हालाँकि यह नया नहीं हैं, लेकिन भारत में लॉकडाउन से पहले इस का उपयोग अपेक्षाकृत कम था। ऐसी परिस्थितियों में दूरस्थ कार्य संस्कृति बनाना चुनौतीपूर्ण है।

महामारी का एक और नतीजा विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव है। उदाहरण के लिए उड्डयन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जबकि फार्मा और एफएमसीजी क्षेत्रों की कंपनी 'आवश्यक' होने के कारण अपेक्षाकृत अप्रभावित रही हैं।

अगर मौजूदा स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो बैंकिंग क्षेत्र एनपीए के रूप में एक अलग चुनौती का सामना कर सकता है। इसलिए, जहाँ एक तरफ हम महामारी को दूर करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, वहीं 'द फाइनेंशियल कैलिडोस्कोप' के इस संस्करण में हम भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित कुछ उपायों पर गौर करेंगे। इसके साथ ही हमने कंपनियों, व्यापार और निवेशकों से संबंधित कुछ नयी योजनाओं पर भी बात की हैं। हम आपको अवगत रखने और दूरदर्शी निवेशक बनाने हेतु प्रयासरत हैं। हम अपने सभी पाठकों को 'नॉलेज विंस कांटेस्ट' में भाग लेने के लिए और न्यूज़लेटर के अंदर दिए गए लिंक पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने मित्रों, सहकर्मियों और जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं, उनके साथ यह न्यूज़लेटर साझा करें। इस न्यूज़लेटर को नियमित रुप से प्राप्त करने के लिए https://nsdl.co.in/e-newsletter.php पर क्लिक करें।

आभार,
टीम एनएसडीएल

भारत सरकार और अन्य नियामकों द्वारा उठाये गए कदम

पिछले संस्करण में हमने वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित कुछ उपायों और साथ ही आरबीआई और सेबी द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण साझा किया था। इसके बाद उपायों का दूसरा दौर और आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया गया। नीचे अब तक घोषित कुछ योजनाओं और उपायों के प्रमुख बिंदुओं की सूची दी गई है:

आत्मनिर्भर भारत अभियान

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह व्यावसायिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने और देश को कोविद-19 महामारी से होने वाली आर्थिक क्षति से उबरने में मदद करने के लिए एक पहल है। हालांकि यह विभिन्न समूहों और कई क्षेत्रों को शामिल करता है, मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं:

एमएसएमई के लिए गिरवी रहित ऋण

जिन कर्जदारों का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ है और 25 करोड़ तक बकाया है, वो क्रेडिट के 20% तक की राशि का आपातकालीन लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इन ऋणों की अवधि 4 वर्ष होगी साथ ही मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 1 वर्ष का स्थगन काल होगा। ये ऋण कर्जदारों के लिए जमानत रहित होंगे और भारत सरकार इनकी 100% गारंटी लेगी। यह 45 लाख इकाइयों को पुनः आरम्भ करने में एक अहम भूमिका निभाएगा और एमएसएमई क्षेत्र में 3 लाख करोड़ तक का निवेश ला सकता है।

एमएसएमई की नयी परिभाषा

इसमें एमएसएमई में निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है। इस सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए टर्नओवर को भी संशोधित किया गया हैं। इसके अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है। संशोधित वर्गीकरण इस प्रकार है:

आयकर सम्बंधित

अनुपालन और कानूनी मुद्दों के संदर्भ में तत्काल राहत प्रदान करने के अलावा वित्त मंत्री ने करदाताओं की चल नकदी में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है -

- आयकर रिटर्न जो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर को या उससे पहले जमा किया जाना था, अब 30 नवंबर, 2020 तक जमा किया जा सकता है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। आई टी आर - 1 और आई टी आर - 4 के लिए रिटर्न बनाने का सोफ़्टवेयर इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ईफाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध करा दिया है।

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस प्रमाणपत्र 31 जुलाई और 15 अगस्त, 2020 तक जारी किए जा सकते हैं।

- छोटे करदाता जिनकी 1 लाख तक राशि बकाया हैं, वे 30 नवंबर 2020 तक स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान कर सकते हैं।

- सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-VI ए-बी के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश / भुगतान करने की तारीख 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी है, जिसमें धारा 80 सी (एलआईसी प्रीमियम भुगतान, पीपीएफ, एनएससी आदि में निवेश), 80 डी (मेडिक्लेम) और 80G (दान) शामिल हैं। अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश / भुगतान 31 जुलाई, 2020 तक किया जा सकता है।

- 'विवाद से विश्वास' योजना की अवधि को 10% अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए, 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

- करदाताओं को अधिक चल राशि प्रदान करने के लिए, गैर-वेतनभोगी विशिष्ट भुगतानों के लिए स्रोत पर कर कटौती की दर को 31 मार्च, 2021 तक 25% तक कम कर दिया गया है।

फॉर्म 26 एएस के प्रारूप में परिवर्तन

फॉर्म 26 ए एस आपकी आयकर पासबुक की तरह है। यह अन्य चीजों के अलावा आपके टीडीएस, टीसीएस भुगतान किए गए कर का विवरण दिखाता है। आयकर विभाग ने हाल ही में इस रूप में कुछ बदलावों को अधिसूचित किया है। 1 जून, 2020 से फॉर्म 26 एएस में निम्नलिखित भी शामिल होंगे –

- नया प्रारूप आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पता दिखाएगा।

- विशिष्ट वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचना –

  विभिन्न आय स्रोतों जैसे कि वेतन, ब्याज आदि से काटे गए कर और वित्त वर्ष के दौरान जमा किए गए कर के विवरण के साथ, संशोधित फॉर्म में विशिष्ट वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी भी होगी। इनमें शेयर, अचल संपत्ति आदि की खरीद और बिक्री, बैंक ड्राफ्ट की खरीद के लिए नकद भुगतान, भुगतान आदेश या बैंकर्स चेक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्री-पेड उपकरणों (जैसे मोबाइल वॉलेट) की खरीद के लिए नकद भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान शामिल हैं। इन लेनदेन से संबंधित जानकारी फॉर्म 26 एएस में दिखाई देगी, यदि वे एक विशिष्ट सीमा से आगे हैं।

- आयकर की मांग और धनवापसी से संबंधित जानकारी।

- आयकर कार्यवाही से संबंधित जानकारी।

"सबसे बुद्धिमान निवेशक को भी भीड़ के पीछे न चलने के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।"

बेंजामिन ग्राहम

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)

लॉकडाउन से प्रभावित वेतनभोगी कर्मचारियों को वित्तीय तरलता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ईपीएफ से संबंधित निम्नलिखित अस्थायी उपायों की घोषणा की है -

- गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति देने के लिए इस महामारी को एक कारण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाले ईपीएफ सदस्य 75% तक की राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, को अपने खातों से निकालने के लिए पात्र होंगे।

प्रोविडेंट फंड की बचत मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों के लिए होती है। अपनी तत्काल जरूरतों के लिए इस फंड का उपयोग करने से पहले अन्य उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान से विचार करना चाहिए।

- सदस्यों को अपनी कंपनी में आवेदन देते समय कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा के तहत निकाली गई राशि कर मुक्त होगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने 3 महीने के लिये कंपनी के 12% के साथ-साथ कर्मचारी के 12% ईपीएफ योगदान का भुगतान करने का तय किया था। अब इस अवधि को अगस्त 2020 तक और बढ़ा दिया गया है।
- जो कर्मचारी उपर्युक्त योजना के तहत नहीं हैं, उनके लिये कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए वैधानिक पीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कर्मचारी चाहे तो ज्यादा कटौती के लिए अनुरोध कर सकते हैं, मगर कंपनी को इसे मैच करना अनिवार्य नहीं होगा।

शेयर बाजार, कंपनी और निवेशकों से संबंधित उपाय

म्यूचुअल फंड लेनदेन के कम किये हुए कट-ऑफ टाईमिंग का विस्तार

लॉकडाउन के कारण बैंकों के कामकाज के घंटों में बदलाव के मद्देनजर सेबी ने म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए कट-ऑफ टाइम को संशोधित किया था। संशोधित समय इस प्रकार हैं और अगली सूचना तक बढ़ा दिए गए हैं:

फंड प्रकार	खरीद	बेच / विमोचन
लिक्विड और ओवरनाइट फंड	12:30 दोपहर	01:00 दोपहर
उसके अलावा	01:00 दोपहर	01:00 दोपहर

कंपनी के लिए छूट

मॉनसून के दौरान कई कंपनी एजीएम और ईजीएम कर अपने वित्तीय प्रदर्शन और लाभांश की घोषणा करती हैं। कंपनी को लॉकडाउन के कारण चुनौतियों से उबरने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अनुपालन में अतिरिक्त छूट प्रदान की है। शेयरधारकों के लिए जरुरी कुछ मुद्दों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

वैयक्तिक रूप में एजीएम / ईजीएम की आवश्यकता नहीं

मौजूदा स्थिति ने कंपनी की शेयरधारकों के साथ बैठकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। कंपनी को चालू वर्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से वर्चुअल बैठक करने की अनुमति दी गई है। इससे वे शेयरधारक जो मीटिंग स्थान से दूर होने के कारण एजीएम / ईजीएम में भाग लेने में असमर्थ थे, अब अपने घर या कार्यालय से बैठक में भाग ले सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो शेयरधारकों को कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने में सक्षम करता हैं जहां उन्होंने निवेश किया है।

2012 से कंपनी को ई-वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा एनएसडीएल ऐसी बैठकें आयोजित करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान कर रहा है। कई प्रमुख कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एसबीआई आदि ने हाल के दिनों में एनएसडीएल की इस सेवा का उपयोग किया है। आने वाले दिनों में कई और भी कंपनी इसका इस्तेमाल करेंगी।

कंपनी को वित्तीय विवरणों की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं

अब तक कंपनी को शेयरधारक की इच्छानुसार इलेक्ट्रॉनिक या कागजी रूप में वित्तीय विवरणों की एक प्रति (बोर्ड रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित) भेजना होता था। लेकिन मुद्रण और भेजने में चुनौतियों को

देखते हुए वर्ष 2020 के दौरान एजीएम करने वाली कंपनी को इस नियम से छूट दी गई है। इसलिए जो शेयरधारक कागजी रूप में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के आदी हैं, उन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में उस का उपयोग करना होगा।

उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर सभी शेयरधारक को, चाहे वह शेयर को कागज के रूप में या डीमैट रूप में रखते हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सही ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए या उनके डीमैट खाते में पंजीकृत है। शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी या इसके आरटीए के साथ ईमेल आईडी को अद्यतन करने की प्रकिया जान सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक को डिपॉजिटरी सिस्टम में ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

- **लाभांश पत्र का वितरण**

जो कंपनी लाभांश की घोषणा करती हैं, उन्हें संबंधित शेयरधारक को सूचना भेजने की आवश्यकता होती है। लाभांश राशि शेयरधारकों के बैंक खाते में ईसीएस के माध्यम से जमा की जाती है। यदि कंपनी के पास आवश्यक बैंक विवरण नहीं है, तो कंपनी रिकॉर्ड में उपलब्ध डाक पते पर डिविडेंड वारंट या चेक के माध्यम से लाभांश राशि भेजती है।

एमसीए ने कंपनी को निर्देशित किया है कि वे शेयरधारकों को ईसीएस या अन्य माध्यम से सीधे बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए जनादेश देने की पर्याप्त व्यवस्था करें। जिन शेयरधारकों के बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए लाभांश को तुरंत क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, उन्हें कंपनी डाक सेवाओं के सामान्य होने के बाद डाक द्वारा डिविडेंड वारंट / चेक भेज देगी। उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर शेयरधारकों को डीमैट खाते में या कंपनी / आरटीए द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में अपने बैंक विवरण और डाक पते को अद्यतन करने का ध्यान रखना चाहिए।

बैंकिंग से संबंधित उपाय

बैंक अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए सभी सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। पूरे देश में अधिकांश बैंकों ने शाखाओं का कार्य समय बदल दिया है और उपस्थित कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी है। बैंक ग्राहकों को शाखा जाने के बजाय डिजिटल चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आरबीआई और सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं, ताकि सामाजिक संपर्क से बचा जा सके।

- टर्म-लोन मोरटोरियम

आरबीआई ने एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच 3 महीने की अवधि के लिए टर्म लोन के मोरटोरियम की घोषणा की थी और अब इसे 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है। यह सुविधा ऑटो, होम, पर्सनल लोन और अन्य टर्म लोन के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है।

- डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन

पूरे भारत के बैंक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप, डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म, वर्चुअल कार्ड जैसे प्लेटफार्म के माध्यमों से अपने डिजिटल उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ बैंक ऑनलाइन अकाउंट खोलने, डिजिटल लेनदेन व एटीएम लेनदेन पर शुल्क माफ करने और ग्राहकों को बीमा प्रदान करने जैसी सुविधाएं दे रहे हैं।

अपनी डिजिटल यात्रा में आगे बढ़ते हुए, बैंक अब अपने मोबाइल एप और इंटरनेट बैंकिंग पर सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां ग्राहक खाता खोल सकते हैं, लेनदेन और बिलों का भुगतान कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बीमा खरीद सकते हैं और प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक भारत के कुछ चुनिंदा डिजिटल बैंक में से है जिसके एनएसडीएल जिफ्फी ऐप पर आप पूर्ण केवाईसी अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। एनएसडीएल जिफ्फी फुल केवाईसी के लिए आधार एक्सएमएल (XML) का प्रयोग करता है जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होती है। यह भारत में संपर्क रहित केवाईसी करने के लिए सबसे तेज़ तरीकों में से एक है। वर्तमान में यह बैंक एनएसडीएल जिफ्फी ऐप पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट प्रदान कर रहा है।

सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनी पर कोविद - 19 का प्रभाव

लिस्टेड कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, मालिकी और शासन आदि मामलों पर सटीक और समय पर खुलासा करना आवश्यक है। सेबी ने हाल ही में सूचीबद्ध कंपनी को अपने व्यापार, प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर कोविद - 19 महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने, गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से सभी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देने की सलाह दी है ताकि निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद मिले।

डीमैट खाते के साथ यूनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) को जोड़ना

सेबी की सलाह के अनुसार डिपॉजिटरी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उपलब्ध कराए गए यूसीसी को डीमैट खाते में दर्ज पैन के आधार पर डीमैट खाते के साथ जोड़ (लिंक) दिया है। यदि एक पैन के कई यूसीसी हैं, तो ऐसे सभी यूसीसी को डीमैट खाते में जोड़ दिया है। संयुक्त धारक डीमैट खाते में यूसीसी को पैन के आधार पर प्रत्येक धारक से जोड़ा है। ग्राहकों के पास उनके डीमैट खाते से जुड़े यूसीसी को हटाने (डिलीट / डीलिंक) का विकल्प है। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां यूसीसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, ग्राहक यूसीसी को अपने डीमैट खाते से लिंक करा सकते हैं। इन विकल्पों को डीपी के माध्यम से चुना जा सकता है। एनएसडीएल डीमैट खातों में लिंक किए गए यूसीसी के बारे में ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल भेजेगी। एसएमएस और ईमेल में ग्राहक को ओटीपी का उपयोग करके एनएसडीएल पोर्टल से अपने डीमैट खातों में यूसीसी को लिंक / डीलिंक करने के लिए विकल्प प्रदान किया जाएगा।

सन्दर्भ: सर्कुलर क्रमांक NSDL/POICY/2020/0070 दिनांक मई 15, 2020, एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध।

NSDL Payments Bank

NSDL Jiffy

GET IT ON Google Play

अभी डाउनलोड करें: https://bit.ly/NSDLJoffyTFK_2

खुदरा निवेशक और डिजिटल सेवाएं - एनडीएमएल इंस्टिगो द्वारा इंस्टेंट ऑनलाइन खाता

घर में ही रहने की वजह से सिक्योरिटी मार्केट में नए आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई है जो ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलना चाहते हैं। एनएसडीएल ने इस आवश्यकता को समझा और हाल ही में अपनी 100% सहायक कंपनी एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल) के माध्यम से एक सुविधा शुरू की है, जिसका उपयोग करके निवेशक अपने घर या कार्यालय से ट्रेडिंग / डीमैट खाता खोल सकते हैं। यह एनएसडीएल की कई डिजिटल पहलों में से एक है।

इंस्टिगो डू-इट-योरसेल्फ मॉड्यूल ग्राहक द्वारा डीमैट / ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा देता है। नए निवेशकों के लिए यह निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है –

- डिजिटल / पेपरलेस मोड में ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलने की सुविधा।
- निवेशकों के लिए खाता खोलने की सरल और पूर्ण सुविधा।
- सेबी द्वारा निर्धारित केवाईसी प्रक्रिया के अनुरूप।निवेशकों के लिए खाता खोलने की सरल

ग्राहक ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया

जब ग्राहक ब्रोकर / डीपी की वेबसाइट पर जाएंगे तब एनडीएमएल द्वारा संचालित (व्हाइट लेबल) सुविधा के लिए ग्राहक को फिर से निर्देशित किया जाएगा। इंस्टीगो-डीआईवाई की ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया में ग्राहकों के लिए केवाईसी हेतु आधार ई-केवाईसी या केआरए केवाईसी और ई-साइन का उपयोग शामिल है। आप अपने ब्रोकर या डीपी से इस सुविधा के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

1 जुलाई, 2020 से सिक्योरिटी मार्केट निवेश पर समान स्टैंप शुल्क (ड्यूटी)

सभी राज्यों में प्रतिभूतियों पर स्टांप शुल्क में एकरूपता लाने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन 1 जुलाई, 2020 से लागू हो गए हैं। प्रतिभूतियों में एक्सचेंज आधारित लेनदेन के लिए स्टॉक एक्सचेंज स्टैम्प शुल्क एकत्र करेंगे। डीमैट फॉर्म में होने वाले ऑफ-मार्केट लेन-देन (जो ट्रेडिंग पार्टियों द्वारा बताए गए प्रतिफल के लिए किए जाते हैं) और डीमैट फॉर्म में होने वाले प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गम के लिए डिपॉजिटरी स्टांप शुल्क एकत्र करेंगी। एनएसडीएल ने स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा http://www.nsdl.co.in पर उपलब्ध कराई है।

सन्दर्भ: सर्कुलर क्रमांक NSDL/POICY/2020/0085 दिनांक जून 26, 2020, एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध।

"खेल उन खिलाड़ियों द्वारा जीते जाते हैं जो खेल के मैदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं – न कि उन लोगों द्वारा जिनकी नज़र हमेशा स्कोरबोर्ड पर होती हैं।"

वारेन बफेट

हमारे निवेशक जागरूकता वेबिनार में शामिल हों

निवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में निवेशकों को अवगत कराने के लिए एनएसडीएल पूरे देश में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एनएसडीएल वेबिनार के रूप में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखे हुए है। आगामी कार्यक्रमों / वेबिनार की सूची https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php प्रकाशित की जाती है।

आपके संगठन / संस्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में हमें खुशी होगी। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए कृपया हमें info@nsdl.co.in पर लिखें। आगामी निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है :

क्रमांक	तारीख	समय	स्थान	भाषा
1	17-जुलाई-2020	10.30 प्रातः - 12.30 दोपहर	ऑनलाइन वेबिनार	मराठी
2	17-जुलाई-2020	05.30 संध्या - 07.30 संध्या	ऑनलाइन वेबिनार	इंग्लिश
3	18-जुलाई-2020	10.30 प्रातः - 12.30 दोपहर	ऑनलाइन वेबिनार	हिंदी
4	18-जुलाई-2020	05.30 संध्या - 07.30 संध्या	ऑनलाइन वेबिनार	गुजराती
5	24-जुलाई-2020	10.30 प्रातः - 12.30 दोपहर	ऑनलाइन वेबिनार	इंग्लिश
6	24-जुलाई-2020	05.30 संध्या - 07.30 संध्या	ऑनलाइन वेबिनार	हिंदी
7	25-जुलाई-2020	10.30 प्रातः - 12.30 दोपहर	ऑनलाइन वेबिनार	इंग्लिश
8	25-जुलाई-2020	05.30 संध्या - 07.30 संध्या	ऑनलाइन वेबिनार	इंग्लिश

अधिक शिक्षा, अधिक बुद्धिमानी

नॉलेज विन्स कांटेस्ट

एनएसडीएल की ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा का नाम क्या है?

उत्तर भेजने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या क्यू आर कोड स्कैन करें

25 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे उपहार

पिछले महीने के विजेता

आकाश धवन - अहमदाबाद
अभिमन्यु मिश्रा - जयपुर
अब्राहम कोशी - चेन्नई
दशरथ कानाबर - चंडीगढ़
देवर्षि समाजदार - भरूच
गोपीनाथ नायर - ठाणे
जयरामन रामास्वामी - सूरत
कादम्बरी अम्बोलकर - बेंगलुरु
कमलेश चौधरी - वडोदरा

मंदार करंजलकर - अहमदाबाद
मंदार आचार्य - कोच्चि
मल्हारी भोर - परभणी
नंदिनी निम्बकर - बरेली
प्रभाकर लांडगे - सिरसा
प्रभाकर लिंगायत - क्योंझर
पराग कुलकर्णी - पुणे
राजीव नागराजा - मुंबई

राजुल गर्ग - सोनीपत
रोज़ानकुमार कपाड़िया - अहमदाबाद
सतपाल सिंह - पुणे
सत्यम ओबेरॉय - बेंगलुरु
सत्यम यादव - फलटन
तरसेम सिंह भारज - सूरत
वरद दिवटे - पुणे
जफर इमाम - रांची

मुख्य कार्यालय

ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा माला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

शाखायें

अहमदाबाद कोच्चि कोलकाता चेन्नई जयपुर नई दिल्ली बेंगलुरु लखनऊ हैदराबाद

डीमैट संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हमें relations@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें
डीमैट संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए हमें info@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें

नियम और शर्तें :

1)इस प्रतियोगिता के निष्पादन के लिए केवल एनएसडीएल जिम्मेदार रहेगा। यह प्रतियोगिता सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। 2)एनएसडीएल के कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। 3)व्यक्तिगत जानकारी पूरी और सही होनी चाहिए। 4)आवश्यकता पड़ने पर एनएसडीएल प्रमाण की मांग कर सकता है| 5)एनएसडीएल को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना दिए, प्रतियोगिता बंद करने का अधिकार है। 6)विजेताओं का चयन एनएसडीएल द्वारा किया जाएगा। एनएसडीएल का निर्णय अंतिम होगा|

नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फण्ड ट्रस्ट की ओर से श्री प्रशांत वागल (संपादक) द्वारा मुद्रित व प्रकाशित